न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/2012(2012/00330)

1. चन्द्र कौर पुत्री श्री कत्थू सिह पत्नी श्री करतार सिंहि जाति बावरी निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। (फौत)

   1/1 दर्शन सिंह
   1/2 बलवंत सिह
   1/3 रामसिंह
   1/4 कृष्ण सिह
   } पुत्रगण स्व चन्द कौर पुत्री कत्थू सिह पत्नी करतार सिंह जाति बावरी निवासीयान खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

   1/5 सुखविन्द्र कौर पत्नी श्री दरबार सिह पुत्री चन्द कौर पत्नी श्री करतार सिह जाति बावरी निवासी वार्ड नं0 10 कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8

बनाम

1. सहीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं0 4 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

   1/1 चरण सिंह
   1/2 राजू
   1/3 कृष्ण
   1/4 मोहन सिह
   } पुत्रगण स्व0 श्री सहीराम जाति नायक निवासीगण वार्ड नं. 4 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी

2. तारो पुत्री श्री कत्थूसिंह पत्नी श्री नानक सिह जाति बावरी निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्ण सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा हाल आबाद खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. हरनाम सिह पुत्र श्री वीर सिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा हाल आबाद खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10.2012, प्र.सं. 39/2011 अनवान चन्द कौर आदि बनाम सहीराम द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अनिल शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 23.05.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। प्रार्थना–पत्र मं कथन किया कि प्रार्थीगण ने चन्दकौर बनाम बलवीर कौर आदि अनवान का वादपत्र बीवी कौर उर्फ वीरा तथा कथित पत्नी नत्थू सिह जिसे प्रार्थीगण पूर्णतया इन्कार करते हैं के विरूद्ध इसी न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 11.05.1999 से उसे पाबन्द किया था कि वह चक 6 के.एच.आर. की प्रश्नगत 6.578 है0 कृषि भूमि दखल देने तथा भूमि के किसी भाग को अन्तरित करने से निषिद्ध रहे। लेकिन दावा के दौरान व स्थगन आदेश के बावजूद न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 27.06.2011 को प्रभावी स्थगन आदेश का ज्ञान होने के बावजूद भूमि को विक्रय कर दिया एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया। अप्रार्थी प्रार्थीगण को अब धमकी दे रहे हैं कि वह प्रार्थीगण की खड़ी फसल व भूमि पर कब्जा करेगा जबकि प्रार्थीगण के कब्जा में दखल देने की कोई अधिकारिता नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 अजनबी बिना अधिकार का क्रेता है व उसका रैक एक स्ट्रेन्जर का है। यदि वह कृषि भूमि पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए उसके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का परिशिलन नहीं कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपने कब्जा के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज का परीशीलन कतई गलत रूप से करते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, प्रार्थीगण के पक्ष में कतई गलत माना है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बैयनामा होना वाद की लम्बन अवस्था में कोई प्रभाव नहीं रखता है इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने कतई नजरअंदाज किया है। इस आधार पर भी निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा होने का आधार अपनी अपरिमेय क्षति के बिन्दू में लिया है जबकि ऐसा कोई भी राजीनामा अपालण्ट द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। ना ही उसे किसी भी प्रकार से अपीलाण्ट द्वारा स्वीकार किया गया है लेकिन राजीनामा का अवलम्बन कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रर्थना–पत्र सरसरी तौर पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने सह खातेदार होने का आधार अपने आदेश में लिया है लेकिन वाद के लम्बन काल में ऐसा कोई नामान्तरण होने पर उसे कोई कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 (2) आरआरटी पेज 1123, 2009 (2) आरआरटी पेज 141, 2010 (1) आरआरटी पेज 221, 2011 (2) आरआरटी पेज 802 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.1999 को या अन्य किसी दिनांक को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में काई अंतरिम आदेश पारित हुआ एवं कन्फर्म हुआ इस सम्बन्ध में उसे कोई ज्ञान नहीं है। प्रश्नगत भमि उसके द्वारा प्रतिफल देकर रोबरू गवाहन खरीद की है जिसका नामन्तरण संख्या 344 दिनांक 20.07.2011 को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हो चुका है। नहरी विभाग की पानी की पर्चीया भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। खरीद की गई भूमि रेस्पोडेण्ट के पास में है तथा उसका ही कब्जा काश्त है। बैयनामा के दिवस ही प्रश्नगत भूमि का कब्जा अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट को सौंप दिया गया गया था। अप्रार्थी खरीदशुदा कृषि भूमि का सहखातेदार कृषक है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र के बारे में ज्ञान हुआ तो उसने वीरकौर उर्फ बलवीर कौर से सम्पर्क किया तो वीर कोर उर्फ बलवीर कौर आदि ने उसे बताया कि दिनांक 10.04.2010 को उनकी जाती की पंचायत ने चन्दकौर आदि का वीर कौर उर्फ बलवीर कौर से राजीनामा करवा दिया एवं दिनांक 10.04.2010 को उसके हिस्सा की भूमि का कब्जा उसेसौंप दिया पंचायत में चन्दकौर, तारो, पुत्रीयां कत्थूसिंह व कृष्ण सिंह, हरनाम सिंह ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को निरस्त करवा लेवें लेकिन बाद में चन्दकौर की नीयत खराब हो गई इसलिए राजस्व वाद वापिस नहीं उठाया गया। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथम दृष्टया मामलाः– पत्रावली के अवलोकन से एवं उभयपक्ष की बहस में आये तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेण्ट सह खातेदार कास्तकार हैं। उसके द्वारा प्रश्नगत भूमि को जरिये रजिस्र्ट बैयनामा खरीद की गई है एवं रजिस्टर्ड बैयनामे का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 344 दिनांक 20.07.2011 को हो चुका है एवं खरीद की दिनांक से उस पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा कास्त है। प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के सहखातेदार कास्तकार होने के कारण उसके पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. सुविधा का सन्तुलनः– चूंकि रेस्पो[illegible]दार है यदि उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अ[illegible] भू[illegible]के उपयोग उपभोग में असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी [illegible]ण्ट के पक्ष[illegible]निर्णित किया जाता है।

8. अपरिमेय क्षतिः– रेस्पोडेण्ट एक [illegible] कास्तकार हैं यदि उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपीलाण्ट की बजाय रेस्पोडेण्ट को अपरीमेक्ष क्षति होगी। वह उसका उपयोग एवं उपभोग एवं अन्य राजकीय सुविधाऐं प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त प्रकरण के तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेण्ट एक सहखातेदार है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं क जा सकती है। प्रकरण में तीन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कथनों की सत्यता माना एवं बरूए राजीनामा यह भी मान रहे हैं कि उन्होंने वीरकौर उर्फ बलवीर कौर को उसके हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा बरूए राजीनामा दिनांक 10.04.2010 को सौंप दिया था। इससे स्पष्ट है कि चन्दकौर ने लालच की भावना के वशीभूत होकर प्रार्थना–पत्र एवं अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट प्रश्गनत भूमि पर साधिकार काबिज एवं कृषि भूमि को प्रतिफल देकर खरीद की हैं उसे अपने विधिक अधिकारें से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य अपीलाण्ट ने ऐसा पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 25.10.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested